

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प.8(ग)(8)नियम/डीएलबी/2022/ 1778

जयपुर,दिनांक: 14/2/22

—:आदेश :-

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.17(7) न. वि.वि/नियम/2020 दिनांक 21 जनवरी 2020 की तालिका 1 के बिन्दु संख्या 2 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में स्थिति पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन/गैस फिलिंग स्टेशन/अन्य ज्वलनशील पदार्थ स्टोरेज ईकाईयो के लिए सक्षम अधिकारी से फायर एनओसी लिया जाना आवश्यक है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(8)नियम/डीएलबी/2022/ 1779-2210

दिनांक: 14/2/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका समस्त राज0।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका समस्त राज0।
7. अध्यक्ष, राज0 पेट्रोलियम डिलर एसोसियन पेट्रोलियम हाउस ई-565, लाल कोठी स्कीम, टोंक रोड जयपुर।
8. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी